कार्यालय जिला पंचायत देवरिया।

अल्पकालिक ई–निविदा सूचना

सरकारी गजट उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग–2 के गजट संख्या–1425/33–2–2020–80जी–2000 लखनऊ दिनांक–14.07.2020 के अनुपालन में समस्त जिला पंचायतो व राज्य सरकार के सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2021–22 हेतु रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि शासकीय अनुदान से 26 परियोजनाओं की दिनांक 05.10.2021 तक आमंत्रित ई–निविदा में 06 परियोजनाओं हेतु प्राप्त ई–निविदा एक ही आई0पी0 एड्रेस से होने के कारण मा0 अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक–12.10.2021 के क्रम में पुनः ई–निविदा दिनांक–**13-10-2021** को सांय 04:00 बजे से दिनांक–**20.10.2021** को अपरान्ह 12:00 बजे तक ई–टेण्डरिंग पोर्टल बेबसाइट http://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है, जो आनलाईन http://etender.up.nic.in पर ही डाउनलोड व अपलोड किया जा सकता है। ई–निविदा उक्त तिथि को सांय 03.30 बजे से ठेकेदारों के समक्ष समिति व्दारा खोला जायेगा। किसी भी दशा में अनुबन्ध के पूर्व हुए कार्य को श्रमदान माना जायेगा। स्कैन कापी की मूल प्रतिया निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तो एवं अभिलेखो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग से की जा सकती है। ई–टेण्डरिंग के सम्बन्ध में शासन से यदि कोई निर्णय लिये जाते है तो ठेकेदार को मान्य होगा। शेष नियम व शर्त निम्न्वत है।

1. कोई भी निविदादाता जो राज्य वार काउंसिल में पंजीकृत हो तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदार (First Blood Relations) निविदा प्रकिया में भाग नही ले सकते है, इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. पंजीकृत ठेकेदार सी, श्रेणी मु0–10.00 लाख रूपये सीमा अन्तर्गत, "बी" श्रेणी हेतु मु0– 25.00 लाख रूपये सीमा अन्तर्गत तथा "ए" श्रेणी सभी निर्माण कार्य हेतु मान्य होगें।
3. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त बेवसाईट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड प्राधिकरण व्दारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नही है।
4. पंजीकृत ठेकेदारों को सुझाव दिया जाता है कि कृपया परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर लें एवं आगणन आदि के संबंध में जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से की जा सकती है।
5. **प्रत्येक निविदादाता द्वारा 100 रूपये का स्टाम्प पेपर एवं एक रूपये का हस्ताक्षर युक्त रसीदी टिकट आनलाइन स्कैन करते हुए निविदा में लगाना अनिवार्य होगा।**
6. **जी0एस0टी0सहित निविदा प्रपत्र शुल्क की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट व चेक मान्य नही होगा। निविदा शुल्क जिला पंचायत द्वारा निर्गत फार्म–5 अथवा चालान जो पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, के द्वारा जिला निधि खाता सं0–520101063826239 यूनियन बैंक, शाखा– राघव नगर देवरिया मे जमा करना अनिवार्य है, जिस पर परियोजना का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।**
7. **कालम 6 में उल्लिखित बयाने (जमानत) की धनराशि का पृथक–पृथक एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र तथा अन्य साविधि जमा रसीद जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के पदनाम से बन्धक होगा, तथा इसके अतिरिक्त जिला पंचायत द्वारा निर्गत फार्म–5 द्वारा जमा की गयी रसीद को स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। एक एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र तथा अन्य साविधि जमा रसीद या जिला पंचायत द्वारा निर्गत फार्म–5 एक परियोजना के अतिरिक्त अन्य परियोजना हेतु मान्य नही होगा।**
8. **वर्ष 2021–22 हेतु पंजीकृत ठेकेदारो को पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।**
9. निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करनें का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
10. सरकारी गजट उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग–2 के गजट संख्या–1425/33–2–2020–80जी–2000 लखनऊ दिनांक–14.07.2020 के अनुपालन में समस्त जिला पंचायतो व राज्य सरकार के सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार जो वर्ष 2021–22 के लिये पंजीकृत हो, के द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है।
11. प्रत्येक निविदादाता को लेपन कार्य के सापेक्ष हाटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने हेतु आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. पंचायती राज अनुभाग के शासनादेशानुसार सम्पर्क मार्ग हेतु डिफेक्ट लाईविलीटी पीरिएड–02 वर्ष का होगा तत्पश्चात निर्माण कार्यो की जमानत धनराशि वापस की जायेगी। साथ ही शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशो का भी अनुपालन ठकेदारो को मान्य होगा।
13. प्रत्येक निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का वांछित अनुभव संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. जिन ठेकेदारो का जिला पंचायत देवरिया में पूर्व में समयान्तर्गत कोई भी कार्य अनारम्भ है तो, उनको इस निविदा में प्रतिभाग करने से बंचित रखा जायेगा।

क0	विकास खण्ड	परियोजना का नाम	gst रहित धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र शुल्क जी0एस0टी0 सहित	बयाने की धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	बैतालपुर	ग्राम सभा विक्रमपुर बासपार में पिच से पश्चिम चौधरी यादव के घर के आगे तक लेपन कार्य।	26.63	2950	53260	चार माह
2	देवरिया	विशुनपुरा से भटजमुआव तक पिच तक लेपन कार्य।	64.87	5900	129740	चार माह
3	भाटपार रानी	करौंदा से दक्षिण चुपवा रोड तक लेपन कार्य	27.73	2950	55460	तीन माह
4	बनकटा	रतसिया में पिच मार्ग से बुद्ध पी0जी0 कालेज तक सी0सी0 कार्य।	9.66	1180	19320	तीन माह
5	भाटपार रानी	तिलौली में राघव यादव के घर से पंचायत भवन एवं ब्रम्हस्थान तक सी0सी0 कार्य	12.70	1416	25400	तीन माह
6	भलुअनी	पकड़ी फतेहपुर मार्ग पर पावर हाउस के सामने से राजकीय आई0टी0आई0 सेहुड़ा तक लेपन कार्य	48.84	5900	97680	पांच माह

(सुकीर्ति मिश्रा)
अभियन्ता
जिला पंचायत,देवरिया

(ज्ञान धन सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, देवरिया

(गिरीश चन्द्र तिवारी)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, देवरिया

कार्यालय जिला पंचायत,देवरिया।

पत्रांकः– 667 /जि0पं0/देवरिया

दिनांक–13-10- ~~सितम्बर~~, 2021

प्रतिलिपिः–

1. मा0 अध्यक्ष, महोदय जिला पंचायत, देवरिया को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी देवरिया को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता जिला पंचायत, देवरिया को इस आशय से कि कृपया उक्त तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें।
4. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 देवरिया को उपरोक्त निविदा सूचना बेवसाईट पर अपलोड करनें हेतु प्रेषित।
5. ई–टेण्डरिंग पोर्टल बेबसाइट http://etender.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/कलेक्ट्रेट/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं जिला पंचायत के नोटिस कोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,देवरिया।